

# कार्यालय कल्याण आयुक्त मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

83,मालवीय नगर भोपाल-3  
फोन 0755-2672763, 0755-2762978

[Email-mplabourwelfareactivity@gmail.com](mailto:Email-mplabourwelfareactivity@gmail.com)

[www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in)

विवाह सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कल्याण आयुक्त,  
म.प्र. श्रम कल्याण मंडल  
83,मालवीय नगर भोपाल - 462003

1. आवेदक कर्मचारी/श्रमिक का नाम कु./श्रीमति/श्री.....
2. पिता/पति का नाम श्री .....
3. निवास का पूर्ण पता .....
4. संस्थान का पूरा नाम/पता जिसमें श्रमिक कार्यरत है.....
5. संस्थान/कारखाने का कम्प्यूटर अभिदाय कोड क्र.
6. दूरभाष क्रमांक संस्थान  आवेदक मोबाईल नम्बर
7. जाति- अनु.जाति  अनु.जन.जाति  पि.वर्ग  सामान्य
8. संस्थान में नियुक्ति दिनांक .....
9. कर्मचारी /श्रमिक का वर्तमान पद .....
10. कुल मासिक वेतन .....
11. श्रमिक की पुत्री का नाम जिसका विवाह होना है .....
12. पुत्री की जन्म तिथि (दिनांक.....माह.....वर्ष.....)  
विवाह दिनांक.....विवाह स्थल.....  
आवेदन के समय पुत्री की आयु(अंकसूची अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) वर्ष.....माह.....दिन.....
13. वर का नाम श्री..... वर के पिता का नाम श्री.....
14. श्रमिक के अविवाहित बच्चों की स्थिति पुत्र..... पुत्री.....
15. मंडल में इस योजना में पूर्व में कितनी पुत्रियों के विवाह में सहायता ली गई.....
16. आवेदक कर्मचारी /श्रमिक का : बैंक खाता क्र..... बैंक का नाम.....  
बैंक का IFSC कोड .....आधार कार्ड U.I.D क्रमांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

17. आवेदक कर्मचारी/श्रमिक श्री/श्रीमति/कु.....पिता/पति श्री .....पद.....  
.....पर संस्थान/स्थापना/ठेकेदार.....  
.....के यहां कार्यरत है।

**संलग्न दस्तावेज :-** आवेदक अपनी बैंक पास बुक/आधार कार्ड/ पुत्री की शैक्षणिक अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं विवाह की मूल पत्रिका/ स्वप्रमाणित शपथ पत्र अवश्य संलग्न करें

घोषणा

नियोजक के हस्ताक्षर  
पद मुद्रा सहित

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है, असत्य पाये जाने की दशा में प्राप्त राशि वापस करने का वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-1 आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय/ श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों में जमा किये जा सकते हैं।

2 ठेका श्रमिक को मूल नियोजक का सत्यापन आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

3 विवाह तिथि के उपरान्त प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।

4 म.प्र शासन के निर्णय अनुसार योजना की सहायता राशि संबंधित आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जावेगी।

कल्याण आयुक्त  
म.प्र. श्रम कल्याण मंडल

:: शपथ पत्र ::  
( स्वप्रमाणित शपथ पत्र )

नाम.....पिता.....  
.....आयु.....निवासी.....

.....  
मैं शपथग्राहिता, शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथग्राहिता संस्थान/स्थापना.....  
.....में श्रमिक के रूप में कार्यरत होकर मेरा पी.एफ./ई.एस.आई./परिचय क्रमांक.....है।  
मैं शपथग्राहिता, शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री.....  
.....आयु..... का विवाह दिनांक.....को श्री .....  
..... निवासी..... के साथ होना निश्चित  
हुआ है तथा शपथ ग्राहिता पुत्री.....की वास्तविक व सही उम्र .....वर्ष ही है। जिस हेतू शपथ  
पत्र प्रस्तुत है।

**हस्ताक्षर शपथग्राहिता**

मैं शपथग्राहिता, शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा एक एवं दो में वर्णित समस्त कथन मेरे  
निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य एवं सही है।

दिनांक.....

**हस्ताक्षर शपथग्राहिता**